सर्व्यापि महामारी **COVID-19** की स्थिति में बच्चों का संरक्षण और उनकी वैकल्पिक देखभाल हेतु अंतर-एजेंसी तकनीकी नोट

प्रतिक्रिया हेतु मुख्य दृष्टिकोण

Source: Save the Children

परिचय

यह अंतर-एजेंसी तकनीकी नोट और दस्तावेज़ COVID-19 महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा, उनके संरक्षण तथा वैकल्पिक देखभाल हेतु, सभी भागीदार, जो बच्चों के लिए सेवाओं में निरंतरता को बनाए रखने के लिए केंद्रित और प्रतिबद्ध हैं, उनको बढ़ावा की सहभागिता को प्रोत्साहित करने देने के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है। देखभाल के प्रक्षेत्र में हितधारकों की एक विस्तृत ऋृंखला, जिसमें स्वयं बच्चे, युवा, परिवार के सदस्य, सरकारें, नागरिक समाज, डोनर, और अन्य शामिल. हैं, यह दस्तावेज़ निम्नलिखित बिंदुओं पर दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है:

- बच्चों, परिवारों, अभिभावकों, समुदाय और धार्मिक गुरुओं को शामिल करना;
- सरकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करना;
- डोनर के साथ जुड़ाव;

1. बच्चों, युवा लोगों, परिवारों तथा समुदाय के साथ मिलकर काम करना:

बच्चों और युवाओं को शामिल करना[1]	
रोकथाम	**प्रतिक्रिया**
• बच्चों और युवाओं को, वायरस के बारे में जानकारी, उनकी आयु के अनुरूप उपयुक्त भाषा एवं प्रारूप में साझा की जाए, ताकि वे उसे आसानी और सुलभता से समझ पाएँ। • बीमारी के कारण अलगाव की स्थिति से संबंधित किसी भी नीति-निर्माण में बच्चों (आयु-उपयुक्त) की सहभागिता होनी चाहिए. • निम्नलिखित परिस्थितियों का सामना करने के के लिए बच्चों को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए: ○ COVID-19 के बारे में समझ और उससे जुड़े भय के बारे में जानने के लिए परिवार के सदस्यों, किसी भरोसेमंद वयस्क या केस वर्कर, जहां क़हीं भी प्रासंगिक हो, से चर्चा करें। ○ उनके वर्तमान जीवन की स्थिति और उससे जुड़ी चिंताओं की चर्चा करें। ○ यदि बच्चों या युवाओं से उनके घर पर व्यक्तिगत सम्पर्क संभव न हो तो घर से बाहर मिलने की व्यवस्था पर विचार करें।	• ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे दूर से, उचित सावधानी बरतते हुए बच्चों का फॉलो-अप किया जा सके. • आइसोलेशन के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता बीमार हों या उनका देहांत हो गया हो, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए बाल अनुकूल व्यवस्थाएँ स्थापित की जाएँ. • ऐसे निर्णय जो बच्चों को प्रभावित करते हों, जैसे उनकी व्यक्तिगत देखभाल, वैकल्पिक देखभाल या प्लेस्मेंट इत्यादि की अवस्था में बच्चों और उनके परिवार वालों को शामिल करने में सहयोग करें। • हेल्पलाइन या आपातकालीन लाइन जैसे मौजूदा प्रावधानों की जानकारी उनके साथियों से साझा करें। • शिकायत प्रणाली तक पहुँचने के संवाद के ऐसे तरीके स्थापित करें जहां बच्चे या युवा संकट की स्थिति में सम्पर्क कर सकें। • ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले बच्चों तथा युवाओं से ऑनलाइन सुरक्षा और इससे जुड़े जोखिम पर चर्चा की जानी

[1] a) Helping Children Cope with Coronavirus and Uncertainty
b) Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource
c) How to speak to your child about the coronavirus
d) Relaxation Activities to Do at Home with Kids
e) Coronavirus and Kids: Resources from Save the Children

○ समुदाय आधारित जोखिमों की पहचान करें और बच्चों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान का उपाय करें। ○ सहायता की आवश्यकता पड़ने पर बच्चे किस से और कैसे सम्पर्क करें इसके लिए परिवार या समुदाय में सहायक लोगों या समूह की पहचान कर उनसे बच्चों को अवगत कराएँ। ○ COVID-19 के प्रसार को रोकने के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। ○ वैकल्पिक देखभाल अथवा पालक-देखभाल प्रदाताओं को चुनने के लिए मापदंड बनाने या उसकी समीक्षा करने में मदद करें। ○ अपने समुदाय में अन्य कमजोर बच्चे, जिनको सहयोग की आवश्यकता हो, उनकी पहचान करें। ○ मौजूदा सामुदायिक क्षमताओं को बच्चों और युवाओं, विशेषकर जो सर्वाधिक संकटग्रस्त हैं, की बातों को सुनने के लिए प्रोत्साहित और मज़बूत करें।	चाहिए। इस अनुमान पर ना चले की सभी बच्चों या उनके परिवार वालों के पास इंटरनेट की व्यवस्था होगी। ● रोकथाम क श्रेणी में शामिल बिंदुओं के अलावा, बच्चों को निम्नलिखित कार्यों के लिए के लिए प्रोत्साहित करें: ○ मदद के लिए समुदाय के लोगों से फोन पर सम्पर्क करें या व्यक्तिगत सम्पर्क करना हो तो सुरक्षात्मक दूरी का ध्यान रखें। ○ यदि वे अपनी या दूसरों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं तो केस कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करें।

देखभालकर्ताओं, पालनकर्ताओं तथा रिश्तेदारों को शामिल करना)[2]	
रोकथाम	**प्रतिक्रिया**
• देखभाल करने वालों को निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए: ○ COVID-19 के बारे में (उचित सुरक्षा के उपायों के साथ-साथ ग़लत सूचनाओं और ○ मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के विषय में ○ रेफ़र करने के माध्यम और उपलब्ध सेवाओं के विषय में ○ सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध सहयोग के विषय में ○ परिवार के किसी सदस्य को वायरस के लक्षण दिखने पर क्या करें • दिव्यांग बच्चे, जो आम तौर पर किसी आवासीय केंद्र से सेवाएँ ले रहे हों, उनको वैसी ही सेवा घर पर मिले अथवा किसी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, उनके माता-पिता/ देखभाल करने वाले अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। • सामुदायिक स्तर पर देखभाल करने वाले अतिरिक्त लोगों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता के समय उनकी सेवाएँ ली जा सकें। • देखभाल प्रदाताओं के साथ दूर/दूरस्थ संचार माध्यम से पेरेंटिंग या परिवार को सुदृढ़ करने	• देखभाल कर्ताओं को पेरेंटिंग और पारिवारिक सुदृढ़ीकरण तथा मदद तक पहुँच इत्यादि के विषय पर दूरस्थ माध्यमों से यथासम्भव सहयोग करें। • अधिक जोखिम वाले देखभालकर्ता/परिवारों, जिनको जाकर मिलने की आवश्यकता होगी, उनको चिन्हित करें और जोखिम को कम करने हेतु बाहर मिलने, हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने जैसे उपाय करें। • जब देखभाल करने वाले के बीमार होने की सूचना मिले (उसके अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु से पहले), तो बच्चों के देखभाल और/या वैकल्पिक देखभाल के लिए समाधानों की निरंतरता के उपायों को पहले से ही चिन्हित किया जाना चाहिए।, • बच्चों की अस्थायी देखभाल हेतु आपातकालीन वैकल्पिक देखभाल प्लेस्मेंट आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सभी देखभाल और सेवा प्रदाताओं को संग रोध (कवारनटाइन) के तरीक़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए की यदि बच्चे में वायरस के कोई लक्षण दिखें तो तत्काल क्या करना चाहिए।

[2] a) Parent/Caregiver Guide to Helping Families Cope With the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
b) Helping children cope with stress during the 2019-nCoV outbreak
c) Resources for Supporting Children's Emotional Well-being during the COVID-19 Pandemic
d) Stress, Resilience, and the Role of Science: Responding to the Coronavirus Pandemic

से सम्बंधित अथवा एवं सहयोग प्रदान करने वाले अन्य कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने के विकल्पों को ढूँढें। ● निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए देखभाल प्रदाताओं को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए: ○ ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो उनके बीमार पड़ने पर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ○ परिवार तथा समुदाय से ऐसे लोगों को चिन्हित कर के रखें जो उनकी असमर्थता की स्थिति में उनके बच्चों की देखभाल कर सकें। इसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाने और उनकी व्यक्तिगत देखभाल शामिल हैं। ● परिवार और समुदाय से ऐसे लोगों की पहचान करके रखें जो, यदि किसी परिवार को अलग करना पड़े, तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों (भोजन, पानी, दवा इत्यादि) को पूरा कर सके।	● निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए देखभाल प्रदाताओं को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए: ○ बच्चों की चिंताओं और चुनौतियों को रिपोर्ट करने के लिए बाल संरक्षण कर्मचारियों से सम्पर्क करें। ○ समुदाय में प्रमुख एवं केंद्रीय हितधारकों से संपर्क करें। ○ उनके समुदाय में अन्य देखभाल कर्ताओं को दूरस्थ सहायता प्रदान करें ○ बच्चों को मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करें।

सामुदायिक तथा विश्वास-आधारित धार्मिक नेताओं को संघटित करना[3]	
रोकथाम	**प्रतिक्रिया**
● सामुदायिक लीडरों को बच्चों के सन्दर्भ में COVID-19 से जुड़े जोखिमों, विशेषकर (दिव्यांग या किसी पुराने रोग से ग्रस्त बच्चों) के संबंध में प्रशिक्षण देना, उनको वायरस के लक्षणों और उसके संचरण के तरीक़ों से अवगत कराना,	● निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए सामुदायिक लीडर को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए: ○ COVID-19 से सम्बंधित अफवाहों तथा उस बीमारी से उबरे लोगों

[3]a) Global Multi-Religious Faith-in-Action Covid-19 Initiative
b) Considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19
c) COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement

ताकि वे आवश्यकता होने पर उन्हें चिन्हित कर सकें और रेफ़र कर सकें। साथ ही, जो बच्चे बीमारी से ठीक हो गए हैं, अथवा बीमारी से ठीक हुए अभिभावकों के बच्चों के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों से कलंकित होने से बचा सकें। ● निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए सामुदायिक लीडर को सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए: ○ अपने समुदाय में लोगों तक सोशल डिसटेनसिंग पालन करने का संदेश पहुँचाने का इनमें (रेडियो / मेगाफोन / ऑनलाइन) से कौन सा सबसे अच्छा माध्यम होगा, इसको निर्धारित करना । ○ समुदाय रिश्तेदारों और अथवा पालक देखभाल कर्ताओं को लामबंद करें ○ संदेशों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को संक्रमण रोकने हेतु सुरक्षा मानकों का पालन करने का एक स्रोत बनें ○ सामाजिक सामंजस्यों को प्रोत्साहित करें; कुछ समुदायों में प्रवासियों और अन्य आबादी के ख़िलाफ़ उत्पन्न होने वाली ज़ेनोफोबिक प्रवृति, की ये लोग COVID-19 का प्रसार करने के दोषी हैं, का मुक़ाबला करें	को कलंक से बचने का प्रयास करना । ○ प्रवासियों और शरणार्थीयों को कलंक और अपेक्षित व्यवहार किए जाने वाली जैसी परिस्थितियों से बचाने का का प्रयास करना. ○ समुदाय में सबसे कमजोर बच्चों, (विकलांगों और पूर्व की बीमारियों से ग्रसित बच्चों को) और उनके परिवारों के लक्षित सहायता जुटाना । ○ बच्चों के किसी प्रकार की चिंता और जोखिम के बारे में बाल संरक्षण टीमों को सचेत करें ○ रेफ़रल के मौजूदा रास्ते पर पड़ने वाले प्रभाव को समझें.

2. सरकार तथा अन्य सेक्टरों के साथ काम करना (देखभाल की मौजूदा प्रणाली में सुधार हेतु)

COVID-19 के कारण या किसी अन्य आपातकाल के संदर्भ में बच्चों की वैकल्पिक देखभाल या उनके अपने परिवार से अलगाव के जोखिम को देखते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में कई क्षेत्रों और सरकारी मंत्रालयों / विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके लिए अंतर्विभागीय सहयोग और

समन्वय सर्वोपरि हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण के साथ-साथ संचार, कानून प्रवर्तन और आपातकालीन प्रबंधन जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं। परिवार की देखभाल से वंचित बच्चें, जिनमें आवासीय देखभाल व्यवस्था में रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, को अनदेखा किए जाने का विशेष खतरा है, क्योंकि घर के माध्यम से बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना और अन्य सेवाओं के अनुकूलित तौर-तरीकों के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपातकालीन नियोजन विभागों / मंत्रालयों के संज्ञान में परिवार की देखभाल से वंचित बच्चों पर विभिन्न प्रतिबंधों और रोकथाम के उपायों के प्रभावों के बारे में कम जानकारी होने की सम्भावना हो सकती है ।

प्राथमिकता के आधार पर शामिल किये जाने वाले कार्य:

- **समाज कल्याण /सामाजिक सुरक्षा (Social Welfare/Social Protection)**: जोखिम वाले परिवारों और बच्चों को पहचानने और उन्हें उचित संरक्षण, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सेवाओं और योजनाओं के संदर्भ में सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय और रेफरल प्रावधान को और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके लिए बाल संरक्षण, समाज कल्याण / सुरक्षा, फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन सहित कई विभागों के बीच संचार, प्रशिक्षण और समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, जो की बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनको बच्चों के विरुद्ध हिंसा (VAC) और / या घरेलू हिंसा (DV) के संकेतकों की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए, और उनके द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आपातकालीन व्यवस्था में ऐसी घटनायें बढ़ सकती हैं।
- स्वास्थ्य (**Health**): एडवोकेसी के माध्यम से और मंत्रालयों / विभागों के सहयोग से तथा स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अस्पतालों, क्लीनिकों में, स्वास्थ्य देखभाल (दोनों परिस्थितियों, मौजूदा और COVID-19 संक्रमण की स्थिति में) सुनिश्चित करें कि वैकल्पिक देखभाल में बच्चों की प्राथमिकता बनी रहे। उनके स्वास्थ्य की देखभाल में आने वाली बाधाओं की पहचान करें उन्हें नियमित रूप से संबोधित किया जाता रहे। इस औपचारिक देखभाल प्रणाली में बच्चों के लिए मौजूदा मुफ्त स्वास्थ्य योजनाओं तक उनकी पहुँच प्राथमिकता के आधार पर या स्वतः हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि घरों से बाहर रहने वाले बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के नए तौर-तरीकों (यानी ऑनलाइन मेडिकल परामर्श और परीक्षण / क्लीनिक के माध्यम से ड्राइव इत्यादि) के विकास और वितरण में शामिल किया जाये
- मानसिक स्वास्थ्य (**Mental Health**): वैकल्पिक देखभाल में बच्चों को विशेष परिस्तिथियों में, जैसे- Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) (आज की परिस्थितियों से उत्पन्न तनाव के विकारों), परिवार में बहाल किये जाने या स्वतंत्र जीवन की ओर उन्मुख होने इत्यादि के दौरान संक्रमण की प्रक्रिया के जोखिम को दूर करने के संदर्भ में दूर से या प्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता(MHPSS) सम्बन्धी हस्तक्षेप सुनिश्चित करना होगा।

- शिक्षा (**Education)**: एडवोकेसी के माध्यम से और मंत्रालय/शिक्षा विभाग तथा स्थानीय स्कूलों के सहयोग से, शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता (दूरस्थ और /या ऑनलाइन) सुनिश्चित करें ताकि स्कूल बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक देखभाल और आवासीय देखभाल व्यवस्था में रहने वाले बच्चों की पढाई को सुलभ बनाया जा सके। ऐसासुनिश्चित करने के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए की विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त उपकरणों, इंटरनेट, शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो, साथ ही, उपयुक्त शिक्षण संसाधनों की उनकी पहुंच सुनिश्चित हो।[4]
- स्थानीय टास्क फोर्स (**Local task forces)**: स्थानीय स्तर पर ऐसे टास्कफोर्स स्कूलों, बाल संरक्षण एजेंसियों, किशोर न्यायिक अधिकारियों, सामाजिक, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार संगठनों सहित अन्य संगठनों के बीच स्थापित किए जा सकते हैं। इस टास्कफोर्स को सुचारु रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उनके द्वारा, समय-समय पर बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी की जा सके। अगर आवश्यक परिस्थिति हो तो टास्कफोर्स को तुरंत रिपोर्ट करने और तुरंत हस्तक्षेप करने की क्षमता होनी चाहिए; और अगर चाइल्ड केयर की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन हो तो उनमें सिस्टम को सतर्क करने की भी योग्यता हो।
- प्रलेखन/सूचना प्रबंधन (**Documentation/information management:)**: ऐसे बच्चे जिनको अलग किया गया हो अथवा जो वयस्कों के साथ स्वास्थ्य केंद्रों या क्वारंटाइन सेंटर्स में या ट्रांजिट सेंटर्स में/ विस्थापित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास में हों, ऐसे आंकड़ों के प्रलेखन के लिए लिए एक मानकीकृत प्रणाली होनी चाहिए और सभी क्षेत्रों और एजेंसियों द्वारा उसका अनुसरण होना चाहिए। यह प्रलेखन, बच्चों और परिवारों के अलगाव की स्थिति या ऐसे संभावनाओं में तेजी से ट्रेसिंग और परिवार में बहाल किये जाने तथा देखभाल करने वालों को उपचार की आवश्यकता जैसे मामलों में अतिआवश्यक और मददगार होगा।
- दूरवर्ती सहायता (**Remote Support**): वैकल्पिक देखभाल प्रदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, MHPSS सहित- सीखने और सहयोग के दूरस्थ समूहों की स्थापना को सक्षम करें, ताकि वे एक दूसरे से जुड़े रहें, अपने अनुभवों को साझा कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और एक-दूसरे का उत्थान कर सकें
- निगरानी: स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्र की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की स्थितियों की जाँच और उनका पंजीकरण अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय डेटा के संरक्षण प्रोटोकॉल के अंतर्गत साझा तथा सुगम तरीक़े में संचित हो।

---

[4] INEE Key Education Resources in the Context of COVID-19

3. डोनर्स के साथ काम करना

डोनर्स को एक सुसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि आरोपित होने की भीति का सामना बच्चों को ना करना पड़े, यह भावना उनमें गहराए नहीं और वो इस संकट से उबर जाएँ

बच्चे ऐसी ही ग़लतियों के शिकार न हों, जिनके प्रभाव तात्कालिक होने के साथ साथ लंबे समय तक गहराई से प्रभावी रहें, इससे बचाव के लिए व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिएं। सुनिश्चित करें की SARS, MERS, Ebola और HIV/AIDS महामारियों की प्रतिक्रिया से सीखे गए सबकों को तत्काल लागू किया जाए।

संगठन, जो डोनर समुदायों के साथ हिमायत करते हैं, उन को सर्व्यापि महामारी COVID-19 की प्रतिक्रिया के संदर्भ में सक्रियता के साथ जागरूकता संदेश प्रचारित करना चाहिए और साथ ही किसी आपात स्थिति में देखभाल और संरक्षण के उपयुक्त प्रतिक्रियाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए किसी भी ऐसे संदेश को डोनर्स के साथ नहीं साझा करने चाहिए जो बच्चों की देखभाल और देखभाल प्रणाली की मज़बूती के लिए अनुचित और हानिकारक हों।

डोनर्स के लिए मुख्य संदेशों में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं:

- बच्चों के उनके माता-पिता या देखभाल करने वालों से अनावश्यक अलगाव को रोकना सुनिश्चित करें और यह भी तय करें की जोखिम वाले परिवारों को मानवीय और विकास सम्बन्धी हस्तक्षेपों द्वारा लक्षित किया जाता रहे। यह सुनिश्चित करें की आवासीय देखभाल सुविधाओं (अनाथालयों, बाल गृहों आदि सहित) का उपयोग महामारी की कार्यक्रम प्रतिक्रिया के रूप में तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए '**संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव बिना माता-पिता के बच्चों की देखभाल (2019)'** का अवलोकन किया जाए।[5]
- जोखिम वाले परिवारों और आवासीय व्यवस्था के बच्चों की सुरक्षा अधिक, दूरस्थ और सुरक्षित तरीक़े से निगरानी कर, स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित कर और मनोसामाजिक सहायता के माध्यमों से करें। । सामाजिक सेवा कार्यबल तथा पारस्परिक भूमिकाओं वाले लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित उनकी भलाई और सुरक्षा की बेहतरी के लिए धन के निवेश की प्राथमिकता और निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी।

---

[5] UN General Assembly Resolution on the Rights of the Child (2019)

- सुधार और बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत बनाने (CPSS) तथा उनको जीवन घातक प्रतिगमन से बचाए रखने के लिए Office of Development (ODA) के मौजूदा कार्यालय को सुरक्षित करें। COVID-19 संकट से निपटने के लिए ODA को पुन निर्देशित करने के किसी भी निर्णय को व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करना, जिसमें CPSS के उपाय शामिल हों जो अत्यंत कमजोर परिवारों और समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा निर्मित करता है। इस बात को सुनिश्चित करें कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों सहित देश के सारे बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता सुद्दढ हो।

- मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं और अनुदानों को संशोधित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारें और नागरिक समाज लचीलेपन और पर्याप्त निधियों से लैस रहें । ताकि (बालसंरक्षण) केस लोड में वृद्धि होने की परिस्थिति में तत्काल कार्य करने के लिए धन की कमी न हो। उदाहरण के लिए, प्रतिबंधित धन को अप्रतिबंधित करना और बकाए धन की अदायगी की जगह अग्रिम प्रदान करना।

- इस मार्गदर्शन को सभी क्षेत्रीय टीमों के साथ साझा करें ताकि वैकल्पिक देखभाल वाले बच्चों को और जोखिम वाले परिवारों को समग्र COVID-19 प्रतिक्रियाओं तथा WASH एवं शिक्षा कार्यक्रमों से एकीकृत करना सुनिश्चित किया जा सके।

संकट के समय में उचित और सुरक्षित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने वाले निजी डोनर्स का भी समर्थन किया जाना चाहिए।

- मौजूदा कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निजी डोनर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपातकालीन अवधि में सेवाओं पर बढ़ती मांगों की संभावना से अवगत रहें। इन महत्वपूर्ण परिस्थितियों से जूझने के लिए आवश्यक है कि धन देने के तरीक़ों में लचीलेपन की अनुमति दें।
- अनुचित तरीके से धन को निर्देशित होने से रोकने के लिए आपातकाल के दौरान नई आवासीय देखभाल सेवाओं पर स्थगन लागू करने हेतु उन्हें वैश्विक मानकों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- आपातकाल की घड़ी में परिवारों के संरक्षण तथा परिवार-आधारित देखभाल सेवाओं को बढ़ाने के लिए निजी डोनर्स को अपने दान को पुनर्निर्देशित करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए।
- निजी डोनर्स को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि यदि इस घटना के दौरान कुछ सेवाएं, जैसे कि आवासीय देखभाल केंद्र या बोर्डिंग स्कूल यदि बंद हो जाते हैं, तो ऐसे परिवार के बच्चों के सहायता की आवश्यकता के लिए लागत की ज़रूरत बनी रह सकती है, जिसके लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति को देखते हुए अनुकूलित या नए फंडिंग समझौते बनाने के सुझाव को प्रेषित किए जा सकते हैं।